

बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक-18/6/2026.

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

द्वारा :-

*आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना "पशुधन गणना एवं एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण" अन्तर्गत "पशुधन गणना की योजना" (शत प्रतिशत केन्द्रांश) हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रुपये 3151.30 लाख (रुपये इकतीस करोड़ इक्यावन लाख तीस हजार) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या-2917, दिनांक-30.06.2025 के क्रम में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त केन्द्रीय प्रायोजित योजना "पशुधन गणना एवं एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण" अन्तर्गत "पशुधन गणना की योजना" (शत प्रतिशत केन्द्रांश) हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रुपये 3151.30 लाख (रुपये इकतीस करोड़ इक्यावन लाख तीस हजार) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। विस्तृत व्यय विवरणी-'क' एवं अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न।

2. पशुपालन सौख्यिकी प्रभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र-T-11013/3/2025-AHS-DADF(E19198), दिनांक-23.04.2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना-पशुधन गणना (Livestock Census) के कार्यान्वयन हेतु अवधि विस्तार की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं उक्त पत्र के साथ संलग्न Annexure-I में अनुमोदित मानदण्ड (norms) के अनुरूप राशि का व्यय किये जाने हेतु निदेशित किया गया है।
3. उल्लेखनीय है कि राज्य में 21वीं पशुधन गणना कार्यक्रम का कार्यान्वयन पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में 21वीं पशुधन गणना कार्यक्रम अन्तर्गत Honorarium मद अन्तर्गत प्रगणकों/पर्यवेक्षकों के मानदेय एवं Other Component मद यथा-प्रगणकों/पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण, इन्टरनेट, पावर बैंक, प्रचार-प्रसार, स्वयं के उपकरण (मोबाईल) हेतु प्रोत्साहन राशि, Contingency/Miscellaneous इत्यादि (मानदेय छोड़कर) मद के तहत व्यय किया जाना है। मदवार विस्तृत विवरणी (अनुलग्नक-1) संलग्न है।

4. पशुपालन सांख्यिकी प्रभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र-T-20011/3/2021-AHS_DADF-Part (1) (E-23215), दिनांक-30.03.2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं-पशुधन गणना (Livestock Census) एवं एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण (Integrated Sample Survey) हेतु Mother Sanction निर्धारित किया गया है। उक्त पत्र के द्वारा पशुधन गणना (Livestock Census) के लिए रुपये 1400.00 लाख (चौदह करोड़) मात्र का Mother Sanction निर्धारित किया गया है।
5. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना-पशुधन गणना (Livestock Census) अन्तर्गत विगत वर्ष सम्पन्न 21वीं पशुगणना अन्तर्गत कार्यरत प्रगणकों/पर्यवेक्षकों विभिन्न स्तर के नोडल पदाधिकारियों के मानदेय भुगतान एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार अन्य व्यय का आकलन करते हुए पशुपालन निदेशालय के पत्रांक-1310(नि०), दिनांक-24.03.2026 के द्वारा वार्षिक कार्य योजना भारत सरकार को प्रेषित की गयी है। पुनः पशुपालन निदेशालय के पत्रांक-1762(नि०), दिनांक-07.05.2026 के द्वारा कुल रुपये 3151.30 लाख (रुपये इकतीस करोड़ इक्यावन लाख तीस हजार) की मदवार संशोधित व्यय विवरणी भारत सरकार को प्रेषित की गयी है।
6. 21वीं पशुधन गणना के लिए भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा योजना के तहत स्वीकृत राशि का व्यय भारत सरकार के द्वारा विभिन्न अवयवों के लिए निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप किया जायेगा। योजनान्तर्गत व्यय को भारत सरकार से विमुक्त की गयी राशि के अधीन रखा जाएगा।
7. वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु "पशुधन गणना की योजना" के तहत पर्याप्त बजट उपबंध उपलब्ध है। प्रस्तावित योजना के तहत व्यय को बजट उपबंध के अधीन सीमित रखा जायेगा। योजना की विस्तृत व्यय विवरणी- "क" संलग्न है।
8. वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन निम्नांकित बजट शीर्ष से किया जायेगा -
 - (i) मुख्य शीर्ष-3454 -जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष- 01 -जनगणना, लघु शीर्ष-001 -निदेशन तथा प्रशासन, माँग संख्या-02, उप शीर्ष-0201 -पशुधन गणना, विपत्र कोड 02-3454010010201, पी०एफ०एम० एस० कोड-9978.
9. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार होंगे। निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

10. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय "Just-in-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F No.-1(27)/PFMS/2020, दिनांक-13.07.2023 एवं Office Memorandum F No.-1(27)/PFMS/ 2020, दिनांक-07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा। प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा बी०एल०डी०ए०, पटना के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है :-

Sl. No.	Account Number	Name of account	Short name of account
1	01585501153	BR-215- LIVESTOCK CENSUS AND INTEGRATED SAMPLE SURVEY (LIVESTOCK CENSUS) (9978)	GOBHSPARSHLCISL

11. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि के व्यय के लिए भारत सरकार तथा वित्त विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित अद्यतन दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा विभाग की सहमति से विस्तृत दिशा-निर्देश (कार्यान्वयन अनुदेश) निर्गत किया जायेगा।
13. योजना कार्यान्वयन के क्रम में व्यावहारिक कठिनाई आने की स्थिति में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग द्वारा यथा आवश्यक आंशिक संशोधन किया जाएगा।
14. चूँकि यह एक केन्द्र प्रायोजित चालू योजना है। योजना का लागत मूल्य 30.00 करोड़ से अधिक है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 में प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)25/2012 के पृष्ठ-178/टि० एवं दिनांक-08.06.2026.
15. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)25/2012 के पृष्ठ-177/टि० तथा डायरी संख्या-344, दिनांक-01.06.2026.
16. वित्त विभागीय पत्रांक-7355, दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

(कुमार स्वप्न)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)25/2012-3073 पटना-15, दिनांक-18/6/2026.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना/बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)25/2012-3073 पटना-15, दिनांक-18/6/2026.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखापरीक्षा नियंत्रक, महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)25/2012-3073 पटना-15, दिनांक-18/6/2026.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ विकास भवन कोषागार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)25/2012-3073 पटना-15, दिनांक-18/6/2026.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)25/2012-3073 पटना-15, दिनांक-18/6/2026.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)25/2012-3073 पटना-15, दिनांक-18/6/2026.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ अतिरिक्त सांख्यिकीय सलाहकार, भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग/ पशुपालन सांख्यिकी प्रभाग, चन्द्र लोक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 36 जनपथ रोड, नई दिल्ली-110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)25/2012-3073 पटना-15, दिनांक-...18/6/2026.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ/आई०टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)25/2012-3073 पटना-15, दिनांक-...18/6/2026.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/माननीय वित्त मंत्री के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी-“क”

वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्रीय प्रायोजित योजना “पशुधन गणना एवं एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण” अन्तर्गत “पशुधन गणना की योजना” (शत प्रतिशत केन्द्रांश) के राज्य में सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय का मदवार व्यय विवरणी :-

सामान्य घटक (विपत्र कोड 02-3454010010201)

(राशि रुपये लाख में)

क्र०सं०	विषय शीर्ष	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1	0201.1301 –कार्यालय व्यय	491.393	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार	विकास भवन कोषागार, पटना/सभी जिला कोषागार।
2	0201.2802 –संविदा सेवाएँ	2659.907		
योग :-		3151.30		

(रुपये इकतीस करोड़ इक्यावन लाख तीस हजार) मात्र।

3073
18/6/26

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्रीय प्रायोजित योजना "पशुधन गणना एवं एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण" अन्तर्गत
"पशुधन गणना की योजना" (शत प्रतिशत केन्द्रांश) हेतु प्रस्तावित राशि की मदवार विवरणी

(राशि लाख रुपये में)

Sl. No.	Components	Amount demanded	Norms
1	2	3	4
1	Honorarium component		
(i)	Honorarium to Enumerators	2249.587	Urban-@Rs. 8.15 per HH/NHH Rural Plain-@Rs. 9.94 per HH/NHH
(ii)	Honorarium to Supervisors	377.320	Urban-@Rs. 1.36 per HH/NHH Rural Plain-@Rs. 1.66 per HH/NHH
(iii)	Honorarium for other officers	33.00	Rs. 15,000/- per DNO at district level Rs. 10,000/- per person for maximum 10 person at state level Rs. 5,000/- for one person at block level
2	Other component		
(i)	Internet charges (for enumerators and supervisors only)	155.325	@Rs. 500 per month for maximum 4 months
(ii)	Incentives for using own gadgets (Mobile)	264.450	@Rs. 1000 per enumerator per month for maximum 4 months
(iii)	Training to enumerators	71.618	@Rs. 300 per person.
(iv)	Training to supervisors		@Rs. 400 per person.
(v)	Contingency/Miscellaneous		@Rs. 0.47 per HH/NHH
Total :-		3151.30	

(रुपये इकतीस करोड़ इक्यावन लाख तीस हजार मात्र)

3073
18/6/26

सरकार के संयुक्त सचिव